राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 136

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, गुरुवार, 24 अक्टूबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

रोहित तीनों प्रारूपों में शीर्ष-10 में पहुंचने वाले तीसरे भारतीय बने

>> 14

सरोकार

हनी के जज्बे और जिद के आगे हार गई हर चुनौती

अलीगढ़ : आर्थिक तंगी की बेड़ियां तोड़ सफलता की गाथा लिखना आसान नहीं होता। गरीब किसान परिवार की बेटी ने हर चुनौती को पछाड़ा, खेतों में काम किया, पैसे जोड़ कर किट खरीदी, पांच किलोमीटर दूर स्टेडियम तक रोजाना पैदल सफर किया। नेशनल फुटबॉलर हनी यादव के संघर्ष की प्रेरक कहानी। (पेज-10)

जागरण विशेष

झज्जर वाले दीये की डिमांड हरियाणा ही नहीं पूरे देश में

झज्जर : महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात... ब्रांड नेम है- झज्जर का दीया। इसी नाम से लोग खरीदारी करते हैं। हरियाणा के इस जिले में दीये बनाने का काम बड़े पैमाने पर होता आया है। इस बार भी देशभर में अब तक ढाई करोड़ दीये की सप्लाई यहां से हो चुकी है। (पेज-10)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

डीके शिवकुमार को जमानत मिली, घर में मनेगी दिवाली

नई दिल्ली : मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित कर्नाटक के कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार अब दिवाली का त्योहार अपने घर पर मना सकेंगे। हाई कोर्ट ने बुधवार को 25 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही रकम की दो गारंटी देने पर उन्हें जमानत दे दी। देर शाम वह जेल से भी छूट गए।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 12

इन्फोसिस मामले में सेबी ने शुरू की जांच-पड़ताल

नई दिल्ली : पूंजी बाजार नियामक सेबी ने इन्फोसिस के शीर्ष प्रबंधन पर लगे आरोपों की जांच शुरू कर दी है। सेबी कंपनी के शीर्ष अफसरों द्वारा जानकारी छिपाने और गवर्नेंस खामियों के आरोपों की पड़ताल करेगा। कुछ अज्ञात लोगों ने शीर्ष अफसरों पर अनुचित व्यापार का आरोप लगाया है।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 13

शरीफ की हालत बिगड़ी, बेटे ने लगाया जहर देने का आरोप

इस्लामाबाद : भ्रष्टाचार के मामले में जेल की सजा काट रहे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की हालत बिगड़ गई है। उनके रक्त में प्लेटलेट्स घटकर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। शरीफ के बेटे हुसैन ने आरोप लगाया है कि उनके अब्बू को जेल में जहर दिया जा रहा है। शरीफ लाहौर की कोटलखपत जेल में सात साल की सजा काट रहे हैं। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें सोमवार रात अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

आजकल ▶ पृष्ठ 16

गूगल ने बनाया सुपर कंप्यूटर से लाखों गुना तेज क्वांटम कंप्यूटर

पेरिस : दिग्गज टेक्नोलॉजी फर्म गूगल ने सुपर कंप्यूटर से भी लाखों गुना तेज काम करने वाला कंप्यूटर तैयार कर दिया है। वैज्ञानिकों ने साइकामोर नाम से ऐसी मशीन तैयार की है, जो असंभव सी लगने वाली गति से गणनाएं करने में सक्षम है। यह मशीन क्वांटम कंप्यूटिंग के सिद्धांत पर काम करती है।

दिल्ली के 40 लाख लोगों के अवैध मकान होंगे वैध

कैबिनेट फैसला ▶ इमारत सरकारी जमीन पर हो या निजी पर, सबको मालिकाना हक

चुनाव से पहले केंद्र का बड़ा फैसला, 1797 अनधिकृत कालोनियां होंगी नियमित

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- डीडीए तत्काल शुरू करेगा नियमित करने की प्रक्रिया, शीतकालीन सत्र में केंद्र लाएगा बिल
- अनंत राम डेरी, सैनिक फार्म, महेंद्रू एंक्लेव समेत 67 कालोनियां सूची में नहीं हैं शामिल

नई दिल्ली में बुधवार को कैबिनेट मीटिंग के बाद मीडिया को फैसले की जानकारी देते मंत्री हरदीप सिंह पुरी, साथ में रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावडेकर। प्रेट्र

केंद्र सरकार ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बड़ा फैसला करते हुए राष्ट्रीय राजधानी की करीब 1797 अवैध कालोनियों को नियमित करने का फैसला किया है। केंद्र के इस फैसले से दिल्ली के करीब 40 लाख लोगों को अपने मकान और फ्लैट का मालिकाना हक मिल जाएगा। सरकार का फैसला इस लिहाज से ऐतिहासिक है कि चाहे मकान सरकारी जमीन पर बनाए गए हों या निजी जमीन पर सभी को मालिकाना हक मिलेगा। दिल्ली में बीते दो दशकों से अवैध कालोनियों के मसले पर जमकर सियासत हुई है। ऐसे में केंद्र का यह बड़ा कदम दिल्ली में भाजपा की सियासत के लिए मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कालोनियों को नियमित करने का फैसला किया गया। केंद्र सरकार इसके लिए 18 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान एक बिल भी लेकर आएगी। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने प्रेस कांफ्रेंस में इसे ऐतिहासिक बता इसकी सियासी अहमियत जताने से गुरेज नहीं किया। शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने कैबिनेट के फैसले का ब्योरा देते हुए कहा कि 67 कालोनियों के अलावा प्रभावशाली इलाके के रूप में चर्चित अनंत राम डेरी, सैनिक फार्म और महेंद्रू एंक्लेव को फिलहाल नियमित किए जाने वाली कालोनियों की सूची में शामिल नहीं किया गया है। पुरी ने कहा कि कालोनियों को वैध कराने का यह फैसला एक समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया है और भविष्य के लिहाज से यह एक बेहद दूरदर्शी व क्रांतिकारी है।

शहरी विकास मंत्री ने अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने की दिशा में दिल्ली सरकार की उदासीनता की ओर इशारा करते हुए कहा कि 2011 से ही यह मसला अटका पड़ा था। कालोनियों को नियमित करने के लिए सीमांकन से लेकर तमाम जरूरी बुनियादी काम दिल्ली सरकार को करने थे मगर वो अभी तक नहीं हो पाया है। दिल्ली सरकार ने इसके लिए 2021 तक समयसीमा बढ़ाने का अनुरोध कर रखा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कई बार कालोनियों को नियमित करने की उनकी जिम्मेदारी की ओर इशारा किया मगर बात आगे नहीं बढ़ी।

पुरी ने तंज कसने के अंदाज में कहा कि दिल्ली सरकार सीमांकन के लिए सबसे जरूरी परामर्श सलाहकार कंपनी तक का चयन नहीं कर पायी। इसीलिए अब हमने डीडीए के जरिये फिलहाल निम्न आय वाले लोगों की 1797 कालोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है। संसद में बिल आने से पहले ही डीडीए नियमित करने की प्रक्रिया तत्काल शुरू कर देगा। नियमित की जाने वाली कालोनियों की संख्या कुछ और बढ़ सकती है। (पेज-2 भी देखें)

नहीं डाला जाएगा ज्यादा बोझ

प्रापर्टी वैध कराने के लिए मकान मालिकों पर ज्यादा आर्थिक बोझ भी नहीं डाला जाएगा। उनके पास एक साल में तीन समान किस्तों में नियमितीकरण शुल्क चुकाने का विकल्प होगा। पूरा शुल्क एकमुश्त चुकाने वाले को मालिकाना हक तत्काल मिलेगा। दो किस्तें देने प्रोविजिनल राइट मिलेगा। पूरे भुगतान के बाद इसे पूर्ण मालिकाना हक घोषित किया जाएगा।

सर्किल रेट भी होगा कम

पुरी ने कहा कि सरकारी जमीन पर बने 100 वर्गमीटर के मकानों को सर्किल रेट का आधा फीसद (0.5) लेकर उसे नियमित किया जाएगा। 100 से 250 वर्गमीटर के मकानों के लिए सर्किल रेट का एक फीसद और 250 वर्गमीटर से अधिक के मकानों के लिए 2.5 फीसद शुल्क लेकर उन्हें नियमित किया जाएगा। जबकि निजी जमीन पर बने मकानों को सर्किल रेट के आधे पर इसी दर से नियमित किया जाएगा।

श्रेय की सियासी जंग होगी शुरू

दिल्ली सरकार ने नवंबर 2015 में राजधानी की इन अवैध कालोनियों को नियमित करने का प्रस्ताव केंद्र के पास भेजा था। चुनाव से पहले केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले के बाद दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी सरकार और भाजपा के बीच श्रेय लेने की सियासी जंग शुरू होनी तय है।

किसानों को दिवाली का तोहफा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 325 रुपये तक की वृद्धि
- केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने लगाई मुहर
- 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में अहम कदम

दिवाली से ठीक पहले केंद्र सरकार की ओर से किसानों को बड़ा तोहफा मिला है। सरकार ने रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 325 रुपये प्रति क्विंटल तक की वृद्धि का एलान किया है। पीएम की अध्यक्षता में बुधवार को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) की बैठक में गेहूं के एमएसपी में प्रति क्विंटल 85 रुपये, चना में 255 और मसूर में 325 रुपये की वृद्धि का फैसला लिया गया। यह वृद्धि 2019-20 के लिए तय एमएसपी को आधार मानते हुए की गई है।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि सरकार का यह फैसला 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में उठाया गया अहम कदम है। उन्होंने इस दिशा में किसान सम्मान निधि योजना का भी जिक्र करते हुए कहा, इसके तहत किसानों को छह हजार रुपये सालाना की सम्मान निधि दी जा रही है। ज्यादातर किसानों को दो से तीन किस्तें मिल चुकी हैं। फसलों की एमएसपी में वृद्धि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश के आधार पर की जाती है। आयोग मौसम सहित फसलों के उत्पादन के अनुमान को देखते हुए इसे तय करता है।

सीसीईए ने विपणन सत्र 2020-21 के लिए रबी सीजन की पांच फसलों के एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दी है। इसके तहत गेहूं का एमएसपी प्रति क्विंटल 1840 से बढ़ाकर 1925 और जौ का 1440 से 1525 रुपये किया गया है। चना का एमएसपी 4620 से 4875 रुपये, मसूर का 4475 से 4800, सरसों का 4200 से बढ़ाकर 4425 और कुसुम का एमएसपी 4945 से 5215 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है।

गैर ऑयल कंपनियां भी बेच सकेंगी पेट्रोल : सरकार ने गैर ऑयल सेक्टर की कंपनियों को भी पेट्रोल पंप खोलने की अनुमति दे दी है। इसके लिए कंपनियों को पांच फीसद पेट्रोल पंप ग्रामीण क्षेत्रों में खोलने होंगे। इससे रिटेल पेट्रोलियम सेक्टर में निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए निवेश का रास्ता खुलेगा।

बीएसएनएल और एमटीएनएल का होगा विलय

कैबिनेट ने घाटे का सामना कर रही सरकारी दूरसंचार कंपनियों बीएसएनएल और एमटीएनएल के विलय का फैसला किया है। दोनों कंपनियों के लिए चार स्तरीय पैकेज पर चार साल में कुल 68,751 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसमें कर्मचारियों के लिए 29,937 करोड़ रुपये का वीआरएस पैकेज शामिल है।

भूमि अधिग्रहण मामले की सुनवाई से नहीं हटेंगे जस्टिस अरुण मिश्र

- पीठ से जस्टिस मिश्र को हटाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

अरुण मिश्र — फाइल फोटो

खास बातें

- भूमि अधिग्रहण को लेकर दो पीठों ने सुनाया था अलग-अलग फैसला
- एक पीठ के अध्यक्ष थे जस्टिस मिश्र, इसी आधार पर हो रही हटाने की मांग
- पिछली सुनवाई पर संविधान पीठ ने की थी सख्त टिप्पणी

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि भूमि अधिग्रहण कानून के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही संविधान पीठ से जस्टिस अरुण मिश्र नहीं हटेंगे। भूमि अधिग्रहण कानून से संबंधित शीर्ष अदालत के दो अलग-अलग फैसलों को चुनौती दी गई है। संविधान पीठ अब इस पर छह नवंबर से सुनवाई करेगी।

जस्टिस मिश्र की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने ही यह फैसला सुनाया। जस्टिस मिश्र ने कहा, 'मैं इस मामले की सुनवाई से अलग नहीं हो रहा हूं।' संविधान पीठ में जस्टिस इंदिरा बनर्जी, विनीत शरण, एमआर शाह और एस. रवींद्र भट शामिल थे। विभिन्न किसान संगठनों और व्यक्तियों ने मिश्र द्वारा मामले की सुनवाई करने पर आपत्ति जताते हुए याचिकाएं दायर की थीं। इनका कहना था कि मिश्र ने ही इस मामले में फरवरी 2018 में फैसला दिया था और अपने ही फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर वो कैसे सुनवाई कर सकते हैं। शीर्ष अदालत में 16 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान जस्टिस मिश्र ने पक्षकारों के वकील श्याम दीवान से कहा था- यह पसंद के जज को पीठ में लाने की कोशिश के सिवा कुछ नहीं है। अगर पक्षकारों की मांग मान ली जाती है तो यह संस्था को नष्ट कर देगी। ऐसा हुआ तो यह इतिहास का सबसे काला अध्याय होगा।

यह मामला इसलिए उठा है क्योंकि दो पीठों ने इस कानून पर अलग-अलग फैसले दिए थे। इन्हीं की व्याख्या के लिए संविधान पीठ गठित की गई थी। मिश्र की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि भूमि अधिग्रहण इस आधार पर रद नहीं हो सकता कि किसानों ने पांच साल के भीतर मुआवजा नहीं लिया। 2014 में दूसरी पीठ ने कहा था-पांच साल के भीतर मुआवजा नहीं लेने पर अधिग्रहण रद माना जाएगा।

एक हजार करोड़ से अधिक की आयकर चोरी के तार हेलीकाप्टर घोटाले से जुड़े

- अघोषित आय की रकम घोटाले की दलाली का हिस्सा होने के संकेत
- दिल्ली स्थित कंपनी के खिलाफ घोटाले के हवाला कनेक्शन में पहले से जांच जारी

नई दिल्ली, प्रेट्र : देश की राजधानी दिल्ली में वीवीआइपी हेलीकाप्टर घोटाले से जुड़ा आयकर चोरी का एक बड़ा मामला सामने आया है। दिल्ली में एक कंपनी के ठिकाने पर आयकर विभाग के छापे के दौरान एक हजार करोड़ रुपये की अघोषित संपत्ति का पता चला है। वीवीआइपी हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े हवाला मामले में इस कंपनी के खिलाफ पहले से ही जांच चल रही है।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) की ओर से बुधवार को जारी बयान के अनुसार जिस औद्योगिक घराने के परिसरों में आयकर विभाग की ओर से छापेमारी की गई वह विभिन्न ई-गवर्नेंस परियोजनाओं और वित्तीय सेवाओं से जुड़ा हुआ है। विभाग ने अपने आधिकारिक बयान में तो इस औद्योगिक घराने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन आयकर विभाग के अधिकारियों ने इस कंपनी का नाम अलंकित ग्रुप होने की पुष्टि की है। यह समूह का कारोबार देश के कई शहरों और दुबई में फैला हुआ है। इस बीच, इन आरोपों को लेकर कंपनी ने कोई जवाब नहीं दिया है। आयकर छापे के दौरान इस कंपनी के परिसरों से बड़े पैमाने पर कर चोरी के आपराधिक साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा, हवाला के जरिए लेनदेन करने और मनी लांड्रिंग के भी सुबूत मिल गए हैं।

सीबीडीटी के बयान के अनुसार इस कंपनी ने अपनी अघोषित आय यानी काले धन को दिल्ली और कोलकाता स्थित अपनी खोखा (फर्जी) कंपनियों के जरिए वैध करने की कोशिश की है। इससे पहले आयकर विभाग इस कंपनी के खिलाफ उर्वरक हासिल करने संबंधी मामले में भी छापे डाल चुका है। इतना ही नहीं, कंपनी का दुबई स्थित ऑपरेटर (राजीव सक्सेना) वीवीआइपी हेलीकाप्टर घोटाले में भी आरोपित है। जांच में पता चला है कि उसकी दुबई स्थित खोखा कंपनियों के जरिए 'दलाली' की मोटी रकम जमा की गई है। दलाली की इसी रकम का कुछ हिस्सा मनी लांड्रिंग के जरिए दिल्ली की इस कंपनी के मार्फत भारत वापस भेजा गया है।

ज्ञात हो कि राजीव सक्सेना को 3600 करोड़ रुपये के वीवीआइपी हेलीकाप्टर घोटाले में मनी लांड्रिंग और भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में सक्सेना को दुबई से डिपोर्ट किया जा चुका है। प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि आरोपित राजीव सक्सेना ने एक हजार करोड़ रुपये से अधिक के हवाला लेन-देन और फर्जी प्रविष्टियों के जरिए कर चोरी और मनी लांड्रिंग की है।

विधायकों की खरीद-फरोख्त में हरीश रावत व हरक सिंह पर केस

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- उत्तराखंड की मौजूदा सरकार में मंत्री हैं हरक सिंह रावत
- वर्ष 2016 में स्टिंग के जरिये सामने आया था यह मामला

हरीश रावत — हरक सिंह रावत

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और उनके पूर्व सहयोगी हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीबीआइ ने दोनों के खिलाफ केस र्ज कर लिया है। इन पर सरकारी सेवक रहते हुए विधायकों की खरीद-फरोख्त, मंत्रालयों के बंटवारे और करोड़ों रुपये के अवैध लेनदेन की साजिश रचने का आरोप है। इस मामले में स्थानीय निजी न्यूज चैनल के सीईओ उमेश कुमार को भी आरोपित बनाया गया है। लगभग साढ़े तीन साल तक मामले की प्रारंभिक जांच के बाद सीबीआइ ने केस दर्ज करने का फैसला किया है। हरक सिंह बाद में भाजपा में शामिल हो गए थे और फिलहाल प्रदेश सरकार में मंत्री हैं।

हरक और उमेश को आरोपित बनाने का फैसला चौंकाने वाला है। उमेश ने ही नाराज विधायकों की खरीद-फरोख्त के लिए ऑफर देने संबंधी हरीश रावत का स्टिंग ऑपरेशन किया था। इसी स्टिंग वीडियो के सहारे हरक ने राज्यपाल से शिकायत कर रावत के खिलाफ सीबीआइ जांच की मांग की थी। स्टिंग वीडियो और तीनों आरोपितों के कॉल रिकार्ड की छानबीन के बाद सीबीआइ ने पाया कि उमेश दरअसल हरीश रावत का स्टिंग करने की बजाय हरक सिंह की ओर से सौदेबाजी करने गया था।

सीबीआइ की प्राथमिकी के अनुसार, 18 मार्च 2016 को उत्तराखंड विधानसभा में बजट पास होने के बाद भाजपा विधायकों के साथ-साथ हरक समेत कांग्रेस के नाराज विधायकों को चार्टर्ड विमान से देहरादून से गुरुग्राम लाया गया था। सभी को एक होटल में ठहराया गया। उमेश हरक सिंह से मिलने आया था। हरक ने कांग्रेस में वापसी के लिए उपमुख्यमंत्री के पद के साथ दो मंत्रालयों और 25 करोड़ रुपये की शर्त के साथ उमेश को रावत से मिलने को कहा था। 23 मार्च को देहरादून स्थित हवाईअड्डे के लॉन्ज में उमेश की रावत से मुलाकात तय हुई।

सीबीआइ के एक अधिकारी ने कहा, शुरू में रावत ने हरक को मंत्री बनाने की बात तो मान ली, लेकिन पैसे देने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जो विभाग हरक को दिए जा रहे हैं, उनसे वह 30 करोड़ रुपये कमा लेंगे। इस पर उमेश ने अपनी तरफ से 5-7 करोड़ रुपये का इंतजाम करने का भरोसा दिया और बाकी पांच करोड़ की व्यवस्था करने के लिए रावत पर दबाव बनाया। रावत ने कहा, सारे पैसे का इंतजाम खुद उमेश करे और 29 मार्च को विधायकों के वापस लौटने पर वे एक-दो करोड़ रुपये वापस कर देंगे। उमेश ने 10 करोड़ का खुद इंतजाम करने का भरोसा देते हुए पांच करोड़ की व्यवस्था रावत को करने को कहा।

इसके बाद उमेश ने हरक को बताया, 'मोर और लेस बात हो गई है, ठीक है, बाकी मैं आपको आके बताता हूं।' इसके बाद उमेश ने हरक की रावत से भी बात कराई थी। हरक ने 29 मार्च को साथी विधायकों के साथ आने का भरोसा दिया था। उमेश ने सारी बातचीत का मोबाइल में वीडियो बना लिया था। जांच में वीडियो सही पाया गया।

झारखंड में विपक्ष के पांच विधायक बने भाजपाई

रांची : झारखंड में विधानसभा चुनाव से पूर्व भाजपा ने विपक्ष के किले में सेंध लगाते हुए उनके कद्दावर विधायकों को अपने खेमे में मिला लिया है। मुख्यमंत्री रघुवर दास और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में कांग्रेस और झामुमो के विधायकों ने पार्टी की सदस्यता ली। क्षेत्रीय दल नौवजवान संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष ने अपनी पार्टी का ही भाजपा में विलय कर दिया। तमाम अन्य नेता भी पार्टी में शामिल हुए हैं। (पेज-4)

सौरव गांगुली ने संभाली बीसीसीआइ की कमान

मुंबई : पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने बुधवार को बीसीसीआइ अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिया। गांगुली पिछले तीन वर्षों से प्रशासनिक उथल-पुथल के दौर से गुजर रहे दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख बनने वाले सबसे बड़े नाम हैं। 47 साल के गांगुली को यहां बीसीसीआइ की आम सभा की अगली बैठक तक अगले नौ महीने के लिए आधिकारिक रूप से भारतीय क्रिकेट के प्रमुख की जिम्मेदारी सौंपी गई। (पेज-14)

महाराष्ट्र और हरियाणा विस चुनाव के आज आएंगे नतीजे

जेएनएन, नई दिल्ली

- दोनों राज्यों में भाजपा और कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर
- लोकसभा की दो और विधानसभा की 51 सीटों के लिए भी मतगणना आज

हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा सीटों के लिए गुरुवार को मतगणना होगी। इसके साथ ही विधानसभा की 51 और लोकसभा की दो सीटों के लिए भी गुरुवार को मतों की गिनती होगी। दोनों राज्यों के साथ ही उपचुनाव वाले सीटों के लिए सोमवार को मतदान हुआ था।

महाराष्ट्र और हरियाणा में भाजपा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। भाजपा और उसके सहयोगी दलों को लोकसभा चुनाव में मिली भारी जीत के बाद से यह पहला बड़ा चुनाव है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर समेत कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। मतगणना के दौरान इन दिग्गजों पर सबकी नजर रहेगी। महाराष्ट्र में भाजपा-शिवसेना गठबंधन और कांग्रेस-राकांपा गठबंधन के बीच मुख्य मुकाबला है। महाराष्ट्र में राज ठाकरे की मनसे और हरियाणा में मायावती की बसपा की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। राज ठाकरे ने 101 प्रत्याशी उतारे थे।

ज्यादातर एक्जिट पोल के मुताबिक दोनों ही राज्यों में भाजपा गठबंधन की सत्ता में वापसी हो रही है। हालांकि, एक एक्जिट पोल के अनुसार हरियाणा में कांग्रेस बड़ा उलटफेर कर सकती है। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों के लिए 235 महिलाओं समेत कुल 3,237 प्रत्याशी मैदान में थे। वहीं, हरियाणा की 90 सीटों के लिए कुल 1,169 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद है।

इसके साथ ही 17 राज्यों की 51 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना भी गुरुवार को होगी। इनमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की 11 सीटें शामिल हैं। बिहार की समस्तीपुर और महाराष्ट्र की सतारा लोकसभा सीट पर उपचुनाव के नतीजे भी गुरुवार को घोषित किए जाएंगे। उपचुनाव में भी भाजपा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, क्योंकि 51 में से 30 सीटें उसके और उसके सहयोगी दलों के पास थीं।

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के बाद यह पहला चुनाव था। भाजपा ने चुनाव प्रचार के दौरान इस मुद्दे को जोरशोर से उठाया भी था। अगले महीने से शुरू हो रहे संसद के शीत सत्र से पहले चुनावी जीत से भाजपा का मनोबल बढ़ेगा। माना जा रहा है कि कश्मीर के हालात को लेकर विपक्ष सदन में उसको घेरने की कोई कसर नहीं छोड़ेगा।

वहीं, कांग्रेस के लिए भी दोनों राज्यों में जीत बहुत अहम है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा हुआ है। जीत से कांग्रेस को नई संजीवनी मिलेगी।

चुनाव नतीजों पर टीवी बहस का बहिष्कार करेंगे कांग्रेस नेता

नई दिल्ली, आइएएनएस : महाराष्ट्र व हरियाणा विधानसभा चुनावों के गुरुवार को आ रहे नतीजों के दौरान टीवी पर होने वाली बहस में कांग्रेस नेता या प्रवक्ता हिस्सा नहीं लेंगे।

पार्टी ने इन बहसों का बहिष्कार जारी रखने का फैसला किया है। हालांकि, कांग्रेस नेता व प्रवक्ता निजी तौर पर उन टीवी चैनलों को इंटरव्यू देंगे, जहां चर्चा का कोई पैनल नहीं होगा। कांग्रेस मुख्यालय में भी पार्टी प्रवक्ता चर्चा के लिए मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी ने टीवी पर होने वाली बहसों में शामिल नहीं होने का फैसला किया था। पार्टी का कहना है कि चैनलों पर भारत-पाकिस्तान रिश्तों व सांप्रदायिक मुद्दों पर ही चर्चा होती है।

पीएमसी घोटाला

पीएमसी से डीएचएफएल व सनब्लिंक के रास्ते पैसे पहुंचने के मिले सुबूत, रकम हवाला के मार्फत पहुंचाने के आरोपित से हो रही पूछताछ

मिर्ची की जेब में जा रहा था खाताधारकों का पैसा

नीलू रंजन, नई दिल्ली

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच में पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक घोटाले से जुड़े सनसनीखेज तथ्य सामने आ रहे हैं। जांच के दौरान जो सुबूत मिले हैं उससे साफ है कि पीएमसी बैंक में जमा खाताधारकों की खून-पसीने की कमाई सीधे इकबाल मिर्ची की जेब में पहुंच रही थी। पीएमसी बैंक से लोन लेकर डीएचएफएल आगे सनब्लिंक रियल्टर्स को लोन दे रहा था और मुंबई में वर्ली स्थित इकबाल मिर्ची की संपत्तियों को खरीदने के लिए सनब्लिंक रियल्टर्स लोन की इसी रकम का इस्तेमाल कर रहा था।

ईडी के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, डीएचएफएल ने पीएमसी बैंक से कुल 4,355 करोड़ रुपये का लोन लिया था। इस लोन के पैसे से दो निजी हवाई जहाज और अन्य संपत्तियां खरीदने के अलावा डीएचएफएल ने सनब्लिंक रियल्टर्स को 2,186 करोड़ रुपये का लोन दे दिया। बताया जाता है कि इसी लोन के पैसे से सनब्लिंक रियल्टर्स ने इकबाल मिर्ची की संपत्ति खरीदी और इसके एवज में मिर्ची को कुल 225 करोड़ रुपये का पेमेंट किया। यह पेमेंट हवाला के मार्फत भेजा गया था, जिसका इस्तेमाल इकबाल मर्चेंट ने दुबई में पांच सितारा होटल खरीदने में किया था।

ईडी ने मंगलवार को सनब्लिंक रियल्टर्स और इकबाल मिर्ची के साथ डील कराने वाले दो बिचौलियों हुमायूं मर्चेंट और रिंकू देशपांडे को गिरफ्तार किया है। हुमायूं मर्चेंट ने ईडी के सामने स्वीकार किया है कि इकबाल मिर्ची उसके बचपन का दोस्त है और डीएचएफएल के प्रमोटर धीरज वधावन ने शुरू में इस डील के लिए पांच करोड़ रुपये दिए थे। लेकिन बाद उसे डील से हटा दिया गया। वहीं, रिंकू देशपांडे पर आरोप है कि उसने चेन्नई में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बैंक खाते खोले और उनसे पैसे निकालकर हवाला के मार्फत इकबाल मिर्ची तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। रिंकू देशपांडे को अदालत ने शुक्रवार तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है, जहां उससे पूछताछ की जाएगी।

ध्यान देने की बात है कि इकबाल मिर्ची से व्यवसायिक लेन-देन को लेकर घेरे में आए पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री और वरिष्ठ राकांपा नेता प्रफुल्ल पटेल के तार भी पीएमसी बैंक घोटाले से जुड़े हुए हैं। पीएमसी बैंक से लिए लोन के पैसे से डीएचएफएल ने जो दो निजी चार्टर्ड विमान खरीदे थे, उनमें से एक का इस्तेमाल प्रफुल्ल पटेल कर रहे थे।

भूषण स्टील का पूर्व प्रमोटर पूछताछ के लिए तलब

नई दिल्ली, आइएएनएस : इकबाल मिर्ची से जुड़े संपत्ति सौदों के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भूषण स्टील के पूर्व प्रमोटर नवीन सिंघल को पूछताछ के लिए समन किया है। एक ईडी अधिकारी ने बताया कि उन्हें इकबाल मिर्ची के परिवार के साथ 19 करोड़ रुपये से ज्यादा के लेनदेन के सिलसिले में पूछताछ के लिए शुक्रवार को बुलाया गया है। इकबाल मिर्ची के पुत्र जुनैद इकबाल मेमन के घर पिछले हफ्ते मारे गए छापे में ईडी को इस लेनदेन की रसीद मिली थी। हालांकि सिंघल ने एक बयान जारी कर इस तरह के आरोपों से इन्कार किया है।